न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 475 सन 2018

अनवान :–

1. जितेन्द्रपाल पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 03.01.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 164/167 के खसरा न0 718/3 की 1.8970हैक्‍ भूमि जिसमें वादी का नाम सहवन से नामान्तकरण दर्ज करते समय जिन्द्रपाल दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही नाम जितेन्द्रपाल है यही नाम वादी के अन्य दस्तावेजात पहचान पत्र आधार कार्ड वारिस प्रमाण पत्र व राशन कार्ड एवं सरपंच ग्राम पंचायत में वादी का नाम जितेन्द्रपाल दर्ज है वादी का राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का फायदा नही उठा पा रहा है वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से जितेन्द्रपाल पुत्र जोतराम दर्ज करवाना चाहता है वादी का बाद डिक्रि फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार नोहर से वादीया के वाद /नाम संशोधन के सम्बध में रिपोर्ट /जबाब चाहा गया पेरोकार राज तहसीलदार नोहर ने रिपोर्ट पेश की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 164/167 के खसरा न0 718/3 की 1.8970हैक्‍ भूमि जिसमें वादी का नाम सहवन से नामान्तकरण दर्ज करते समय जिन्द्रपाल दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही नाम जितेन्द्रपाल है यही नाम वादी के अन्य दस्तावेजात पहचान पत्र आधार कार्ड वारिस प्रमाण पत्र व राशन कार्ड एवं सरपंच ग्राम पंचायत में वादी का नाम जितेन्द्रपाल दर्ज है इसलिये वादी का नाम संशोधन किया जाकर जिन्द्रपाल के स्थान पर जितेन्द्रपाल पुत्र जोतराम संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट आने पर शामिल मिसल की जाकर वकील वाद को सुना गया वकील वादी तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से सन्तुष्ट है व उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाना चाहती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 164/167 के खसरा न0 718/3 की 1.8970हैक्‍ भूमि जिसमें वादी का नाम सहवन से नामान्तकरण दर्ज करते समय जिन्द्रपाल दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही नाम जितेन्द्रपाल है यही नाम वादी के अन्य दस्तावेजात पहचान पत्र आधार कार्ड वारिस प्रमाण पत्र व राशन कार्ड एवं सरपंच ग्राम पंचायत में वादी का नाम जितेन्द्रपाल दर्ज है

इसलिये तहसीलदार नोहर ने वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में जिन्द्रपाल पुत्र जोतराम के स्थान पर जितेन्द्रपाल पुत्र जोतराम संशोधन की अभिशषा की गई है।

अतः तहसीलदार नोहर की अभिशषा/वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद वादी डिक्रि किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 164/167 के खसरा न0 718/3 की 1.8970हैक्‍ भूमि में वादी का नाम जिन्द्रपाल पुत्र जोतराम दर्ज है के स्थान पर जिन्द्रपाल के स्थान पर जिन्द्रपाल उर्फ जितेन्द्रपाल पुत्र जोतराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्रि जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

SAZaidy

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)